कार्यालय - प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व निमाड़, खंडवा म.प्र.

कार्य वितरण आदेश

क्रमांक- 41 /एक-21-1/98 खण्डवा, दिनांक :- 05/05/2022

मैं संजीव सुधाकर कालगांवकर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश खण्डवा (पूर्व निमाड़) म0प्र0 सिविल कोर्ट अधिनियम 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) तथा दं.प्र.सं 1973 की धारा 194, 381 (2), 400, 408 एवं 409 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस संबंध में पूर्व में प्रसारित कार्य वितरण आदेश क्रमांक-07 दिनांक 20.01.2022 जारी होने के पश्चात समय-समय पर किये गये संशोधनों का समावेश करते हुए, इस न्यायिक जिला खंडवा में पदस्थ उच्चतर न्यायिक सेवा के समस्त न्यायाधीशों के मध्य सिविल एवं दांडिक कार्यो का तथा अन्य सभी अन्य न्यायाधीशों के मध्य सिविल कार्य का विभाजन **दिनांक 06 मई 2022** से प्रभावशील इस आदेश द्वारा (तथापि यह कार्य वितरण आदेश प्रभावशील होने के पूर्व जो कार्य एवं प्रकरण जिस न्यायालय के न्यायाधीश के पास विचाराधीन रखा है, प्रस्तुत हो चुका है, उनको प्रभावित किये बिना) निम्नानुसार करता हूँ कि :-

क्रमांक	न्यायालय का नाम व स्थान	क्षेत्राधिकार	प्रकरण का प्रकार, जिनकी सुनवाई कर निराकरण किया जाना है ।
1	2	3	4
		खण्ड-अ **प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों का क्षेत्राधिकार**	
1(अ)	सत्र न्यायाधीश, खंडवा बालक न्यायालय एवं मानव अधिकार न्यायालय	सत्र खंड खंडवा	1. सत्र प्रकरण । 2. आपराधिक अपील/आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाएं सत्र खंड, खंडवा के अंतर्गत विभिन्न आरक्षी केन्द्रों (पुलिस थाना-हरसूद, खालवा एवं किल्लौद को छोड़कर) से संबंधित, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों (न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हरसूद को छोड़कर) तथा पीठासीन अधिकारी ग्राम न्यायालय को सम्मिलित कर, द्वारा पारित निर्णयों एवं आदेशों के विरूद्ध । 3. सत्र खंड, खंडवा के अंतर्गत समस्त आरक्षी केन्द्रों (पुलिस थाना-हरसूद, खालवा एवं किल्लौद को छोड़कर) से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता,1973 से से संबंधित धारा 438, 439 दं.प्र.सं के जमानत आवेदन पत्र। 4. सत्र खंड, खंडवा के अंतर्गत मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मानव अधिकार न्यायालय के द्वारा विचारण योग्य अपराधों से संबंधित प्रकरण। 5. सत्र खंड, खंडवा के अंतर्गत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत अपील।

1(अ)	सत्र न्यायाधीश, खंडवा	सत्र खंड खंडवा	6. सत्र खंड, खंडवा के अंतर्गत अन्य समस्त आपराधिक प्रकरण/विशेष प्रकरण /आपराधिक कार्यवाहियॉं जो कि अनन्यतः सत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है तथा जिनके विचारण/सुनवाई के लिये अन्य किसी न्यायाधीश/न्यायालय को पृथक से शक्तियॉं वेष्ठित नहीं की गयी हैं। 7. मध्यप्रदेश शासन विधि ओर विधायी कार्य विभाग अधिसूचना क्रमांक-17(ई)47/2017/ 21-ब (एक) 4869/2017 भोपाल दिनांक 08.12. 2017 के अनुसार विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अधीन के अपराधों से संबंधित प्रकरणों के विचारण विशेष न्यायालय के रूप में सत्र न्यायालय द्वारा किये जावेगे । 8. दंड प्रकिया संहिता 408 एवं 409 के तहत् अंतरण आवेदन पत्रों की सुनवाई । 9 तहसील खंडवा एवं पंधाना अनुविभागीय दंडाधिकारी के आदेश के विरूद्ध आपराधिक अपील/रिवीजन 10 अन्य आपराधिक प्रकरण जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है, सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है ।
1(ब)	प्रधान जिला न्यायाधीश खंडवा	सिविल जिला खंडवा	1. सिविल जिला (तहसील हरसूद एवं खालवा को छोडकर) के ₹1,00,00,001/-(एक करोड़ एक रूपये) एवं उससे अधिक मूल्यांकन के नियमित व्यवहार वाद 'ए' एवं बी श्रेणी के । 2. सिविल जिला (तहसील हरसूद एवं खालवा को छोडकर) के भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 64,65 के अधीन निर्देश/ कलेक्टर के कथन के अंतर्गत प्रकरण (म. प्र.राज्य, राजस्व विभाग भोपाल की अधिसूचना क्र-एफ-12-2/2014 -सात-शाखा/2ए दिनांक 08.09.2016) एवं माननीय उच्च न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक-67/पीआर(जे) 2018 जबलपुर दिनांक 03.05.2018 3. सिविल जिला के वाणिज्यिक प्रकरण, (म. प्र.शासन विधि ओर विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमाक-17(ई)17/ 2016/21-ब(एक)1101/2017 मार्च 2017) एवं वाणिज्यिक अपील प्रभार अधिनियम 2015 के अधीन प्रस्तुत मामले।

1(ब)	प्रधान जिला न्यायाधीश खंडवा	सिविल जिला खंडवा	4. सिविल जिला के समस्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (सिविल न्यायाधीश वर्ग-1 एवं वर्ग-2 हरसूद को छोड़कर) द्वारा घोषित निर्णय एवं आदेश से उद्भूत नियमित एवं विविध व्यवहार अपील। 5. भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उद्भूत अपील। 6. नगर पालिक निगम खण्डवा एवं सिविल **जिले में स्थित नगर पालिका/ नगर** पंचायत के चुनावों से संबंधित चुनाव याचिकाएं। 7. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 24 के अंतर्गत वाद, अपील या अन्य कार्यवाही का अंतरण और प्रत्याहरण। 8. सिविल न्यायालयों द्वारा संज्ञेय अन्य समस्त सिविल कार्य जो किसी अन्य न्यायाधीश को आवंटित नहीं हैं 9. ट्रेडमार्क एक्ट एवं कापी राईट एक्ट में अपील के अधीन प्रस्तुत होने वाले वाद । 10. लोक न्यास अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं रिफरेंस ।
2(अ)	**सत्र न्यायाधीश खंडवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,** **एवं** **विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989**	सत्रखंड खंडवा	1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण एवं प्रतिभूति आवेदन पत्र । 2. सत्र खंड, खंडवा के अंतर्गत विशेष न्यायालय अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत प्रकरण एवं जमानत आवेदनपत्र। (उक्त मामलों से संबंधित रिमाण्ड कार्यवाही व प्रतिभूति आवेदन आदि भी इसी न्यायालय में प्रस्तुत किये जावेंगे तथा उनके द्वारा ही उनका निराकरण किया जावेगा) (विधि विभाग अधिसूचना क्र. 2469/2021 दिनांक 15.07.2021 एवं ज्ञापन क्र.डी/1869 दिनांक 18.06.2021 में उल्लेखित मामलों को छोडकर) 3. स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत प्रकरण एवं जमानत आवेदनपत्र की सुनवाई (माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर एवं म.प्र. शासन विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की समय-समय पर जारी अधिसूचना के आधार पर । 4. माननीय उच्च न्यायालय म.प्र.जबलपुर के ज्ञापन क्र. बी/ 4965/III-6-4/10 जबलपुर, दिनांक 18.12.2020 अनुसार जारी होने वाली अधिसूचना की दिनांक से ही धारा 22(1) National Investigation Agency Act 2008 के द्वारा विहित एवं पेश होने वाले प्रकरण ।

2(अ)	**सत्र न्यायाधीश खंडवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, एवं** **विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989**	सत्रखंड खंडवा	5. अपने न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश से संबंधित निष्पादन/ विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेश का क्रियान्वयन। 6. सत्र खंड, खंडवा के अंतर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) के अन्तर्गत आपराधिक प्रकरण (म.प्र. शासन विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना भोपाल दिनांक 01 मई 2010 फा. क्रमांक 17(ई)2010/21-ब(एक)) 7. भीड द्वारा की गई हिंसा एवं हत्या **(Lynching & Mob Violence)** से संबंधित आपराधिक प्रकरण का निराकरण (मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के पृष्ठांकन क्रमांक-ए/ 5296/तीन-6-5/2010 दिनांक 12.11.2018 के साथ संलग्न रिट पीटीशन क्रमांक-754/2016 तेहसीन वि0 यूनियन ऑफ इंडिया में पारित आदेश निर्णय दिनांक 17.07.2018 मे दिये गये निर्देशानुसार)
2(ब)	जिला न्यायाधीश खंडवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, खंडवा	सिविल जिला खंडवा	1. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले संपत्ति वाद नियमित एवं विविध संपत्ति अपीले, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के प्रकरण एवं प्रशासनिक प्रकरण 2. सिविल जिला (तहसील हरसूद एवं खालवा को छोडकर) के ₹ 501/- से ₹ 1000/- तक के लघु वाद प्रकरण। (मप्र सिविल कोर्ट एक्ट 1958 की धारा 9 के अंतर्गत) प्रकरण तथा उनके उत्पन्न निष्पादन वाद । 3. सिविल जिला (तहसील हरसूद एवं खालवा को छोडकर) संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के प्रकरण।
3(अ)	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश खंडवा । विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 एवं विशेष न्यायालय विद्युत अधिनियम 2003	सत्र खंड खंडवा	1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण आपराधिक अपीले, आपराधिक पुनरीक्षण एवं प्रतिभूति आवेदन पत्र। 2. विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत प्रकरण एवं जमानत आवेदनपत्र ;म.प्र.शासन विधि विधायी विभाग भोपाल के नोटिफिकेशन एफ.एन.17-ई-8/ 2012/21-बी(1)दिनांक 02-03-12 के अंतर्गत के प्रकरणों को छोड़कर उक्त अधिनियम के अन्य समस्त प्रकरण । 3. निक्षेपको के हितो का संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष न्यायालय (माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के पृष्ठांकन क्रमांक-बी/5194/ तीन-6-3/03 दिनांक 17.10.2019 के साथ संलग्न मध्यप्रदेश शासन विधि विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक-1/3/ 2004/4823/2019/21-ब (1) दिनांक 14.10.2019 के अनुसार) 4 "विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 से 139 तक के संबंधित प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्रों के निराकरण किये जाने हेतु (मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक-फा.क्र/17 (ई) 83/03/ 21-ब (एक) 5846/2018 दिनांक 07.12. 2018 एवं माननीय उच्च मध्यप्रदेश अधिसूचना क्रमांक-ए/1893/ तीन-6-4/03 जबलपुर, दिनांक 20.04.2022

3(ब)	प्रथम जिला न्यायाधीश खंडवा ।	जिला खंड खंडवा	1. **प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले संपत्ति वाद नियमित एवं विविध संपत्ति अपीले एवं प्रशासनिक प्रकरण ।** 2. **सिविल जिला (तहसील हरसूद एवं खालवा को छोडकर) के भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अंतर्गत प्रोबेट एवं प्रशासन पत्र के प्रकरण।** 3. सिविल जिला (तहसील हरसूद एवं खालवा को छोडकर) के माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत प्रकरण वे वाद जो मध्यप्रदेश आर्बिटेशन ट्रिब्यूनल के सुनवाई क्षेत्राधिकार से बाहर हैं तथा जिनका मूल्य रूपये 10,000,01 (दस लाख एक रूपये) से अधिक के हो। 4. अपने न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश से संबंधित निष्पादन/विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेश का क्रियान्वयन। 5 आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 के अधीन प्रस्तुत होने वाले मामले लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 42 में वर्णित मामलों को छोडकर । (उपरोक्त सभी मामलों में उत्पन्न होने वाले प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध प्रकरण ।
3(स)	**प्रथम अतिरिक्त सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के अतिरिक्त न्यायाधीश खंडवा**	**सिविल जिला खंडवा के आरक्षी केन्द्र कोतवाली खंडवा, मोघट रोड एवं धनगांव,मांधाता क्षेत्र पंधाना, छैगांव माखन, पदम नगर खंडवा, नर्मदानगर, मूंदी,पिपलौद एवं जावर क्षेत्र में घटित दुर्घटना आधारित क्लेम प्रकरण**	सिविल जिला एवं तहसील खंडवा के समस्त आरक्षी केन्द्र की सीमा में घटित मोटर वाहन दुर्घटना के प्रकरण या आवेदक का निवास इस तहसील में हो एवं जिले की सीमा में निवास करते हो, द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावा (दुर्घटना के समय प्रचलित मोटरयान अधिनियम के प्रावधान अनुसार) प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। वर्तमान प्रभावशील विधि अनुसार DAR (Datailed Accident Report) विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन ।
4(अ)	**द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश खंडवा**	सत्र खंड खंडवा	**रिक्त न्यायालय**
4(ब)	**द्वितीय जिला न्यायाधीश खंडवा**	सिविल जिला खंडवा	**रिक्त न्यायालय**
5(अ)	**तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट खंडवा**	सत्र खंड खंडवा	1. प्रधान सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण आपराधिक अपीले, आपराधिक पुनरीक्षण एवं प्रतिभूति आवेदन पत्र । 2. सत्र खंड, खंडवा के अंतर्गत विभिन्न आरक्षी केन्द्रों (पुलिस थाना-हरसूद, खालवा एवं किल्लौद को छोडकर) से संबंधित बालकों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 2005 के प्रयोजनों के लिये अधिसूचित बालक न्यायालय तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत पदाभिहित विशेष न्यायालय द्वारा विचारण योग्य विशेष प्रकरण/सत्र प्रकरण **(माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के अधिसूचना सी/1722 (ExclusivePOCSO) /तीन-6-5/ 2010 जबलपुर, दिनांक 21.04.2022**

5(अ)	तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट खंडवा	सत्र खंड खंडवा	3. माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दांडिक अपील क्रमांक- 5189/ 2020 में पारित आदेश दिनांक 22.04.2021 तथा इस हेतु रजिस्ट्री से जारी परिपत्र के पृष्ठांकन क्रमांक-सीआर/तीन-6-5/2010 दिनांक 29.04.2021 एवं रजिस्ट्री के ज्ञापन क्रमांक-डी/1869/तीन-6-5/10/ तीन-6-6/84 जबलपुर दिनांक 18.06.2021 एवं अधिसूचना क्रमांक-2469/2021 दिनांक 15.07.2021 में दिये निर्देशानुसार जहॉं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अपराध का प्रकरण हो, तो ऐसे प्रकरण से संबंधित सत्र खंड, खंडवा के अंतर्गत प्राप्त होने वाले प्रकरण एवं जमानत आवेदनपत्र। (ऐसे मामलों से संबंधित रिमाण्ड कार्यवाही व प्रतिभूति आवेदन आदि भी इसी न्यायालय में प्रस्तुत किये जावेंगे तथा उनके द्वारा ही उनका निराकरण किया जावेगा)
5(ब)	तृतीय जिला न्यायाधीश खंडवा	सिविल जिला खंडवा	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले संपत्ति वाद नियमित एवं विविध संपत्ति अपीले एवं प्रशासनिक प्रकरण। 2. अपने न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश से संबंधित निष्पादन/विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेश का क्रियान्वयन। 3. ''अ''' जिला खंडवा के (तहसील हरसूद एवं खालवा को छोडकर) माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 ''ब'' केन्द्रीय मध्यस्थता के अंतर्गत वे वाद जो म.प्र. आर्बिटेशन ट्रिब्यूनल के सुनवाई क्षेत्राधिकार के बाहर है तथा जिनका मूल्य 10,000,01 (दस लाख एक रूपये) से अधिक के वाद । 4. सत्र खंड, खंडवा के अंतर्गत विभिन्न आरक्षी केन्द्रों (पुलिस थाना-हरसूद, खालवा एवं किल्लौद को छोडकर) से संबंधित बालकों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 2005 के प्रयोजनों के लिये अधिसूचित बालक न्यायालय तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत पदाभिहित विशेष न्यायालय द्वारा विचारण योग्य विशेष प्रकरण (माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्र. बी/1830 (OAW/POCSO)/तीन-6-6/84-दि. 25.03.2019
6(अ)	चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खंडवा	सत्र खंड खंडवा	**रिक्त न्यायालय**
6(ब)	चतुर्थ जिला न्यायाधीश खंडवा	सिविल जिला खंडवा	**रिक्त न्यायालय**
7(अ)	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरसूद	सत्र खंड की तहसील हरसूद एवं खालवा	1. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण आपराधिक अपीले, आपराधिक पुनरीक्षण एवं प्रतिभूति आवेदन पत्र ।

7(अ)	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरसूद	सत्र खंड की तहसील हरसूद एवं खालवा	2. आरक्षी केन्द्र -हरसूद, खालवा एवं किल्लौद से संबंधित सत्र प्रकरण, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हरसूद द्वारा पारित निर्णयों एवं आदेशों के विरूद्ध आपराधिक अपील/ आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाएं एवं जमानत आवेदन पत्र । 3. समस्त चिन्हित एवं सनसनीखेज प्रकरणों का विचारण (सत्र खंड खंडवा के अंतर्गत विभिन्न आरक्षी केन्द्रो पुलिस थाना हरसूद खालवा एवं किल्लौद सहित, खंडवा मुख्यालय पर एवं पुलिस थाना हरसूद खालवा किल्लौद तहसील मुख्यालय हरसूद पर) (रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक-1336/तीन-2-41/76 खंडवा, दिनांक 21. 03.2017) 4. आरक्षी केन्द्र -हरसूद, खालवा एवं किल्लौद से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता,1973 से संबंधित धारा 438, 439 के जमानत आवेदन पत्र। 5. आरक्षी केन्द्र -हरसूद, खालवा एवं किल्लौद से संबंधित महिलाओं के विरूद्ध अपराध-बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बलात्कार के साथ हत्या एवं अन्य संबंधित प्रकरण। उक्त आरक्षी केन्द्रों से संबंधित बालकों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 2005 के प्रयोजनों के लिये अधिसूचित बालक न्यायालय तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जिसमें उक्त अधिनियम की धारा के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धाराये भी आरोपित हो, के पदाभिहित विशेष न्यायालय द्वारा विचारण योग्य विशेष प्रकरण । 7. तहसील हरसूद एवं खालवा अनुविभागीय दंडाधिकारी केआदेश के विरूद्ध आपराधिक अपील/रिवीजन । 8 अपने न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश से संबंधित निष्पादन/विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेश का क्रियान्वयन।
7(ब)	जिला न्यायाधीश हरसूद	सिविल जिला खंडवा की तहसील हरसूद एवं खालवा	1. जिला खंडवा की तहसील हरसूद एवं खालवा के ₹1,00,00,01/- (दस लाख एक) से अधिक मूल्यांकन के नियमित व्यवहार वाद। 2. तहसील हरसूद एवं खालवा के ₹ 501/- से ₹1000/- तक के लघु वाद प्रकरण। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले संपत्ति वाद नियमित एवं विविध संपत्ति अपीलें एवं प्रशासनिक प्रकरण । 4. तहसील हरसूद एवं खालवा के भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकरण (म. प्र.राज्य, राजस्व विभाग भोपाल की अधिसूचना क्र-एफ-12-2/2014 -सात-शाखा/2ए दिनांक 08.09. 2016) एवं माननीय उच्च न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक-67/पीआर(जे) 2018 जबलपुर दिनांक 03.05.2018 5. मध्यप्रदेश शासन विधि ओर विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमाक-1-1-2002/21-ब (एक) कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 दिनांक 27.12. 2014 के कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) की धारा 7 के अधीन आने वाले वैवाहिक विवादों से संबंधित सिविल प्रकृति के वादों ओर कार्यवाहियों के बाबत् (जिसमें दंप्र.स 1973 (1974 का 2) के अध्याय 9 के अधीन आने वाली कार्यवाहिया सम्मिलित है) तहसील हरसूद एवं खालवा से संबंधित।

7(ब)	**जिला न्यायाधीश हरसूद**	सिविल जिला खंडवा की तहसील हरसूद एवं खालवा	6. सिविल न्यायाधीश वर्ग-1 एवं वर्ग-2 हरसूद द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उद्भूत नियमित एवं विविध व्यवहार अपील। 7. तहसील हरसूद एवं खालवा के माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत प्रकरण वे वाद जो मध्यप्रदेश आर्बिटेशन ट्रिब्यूनल के सुनवाई क्षेत्राधिकार से बाहर हैं तथा जिनका मूल्य रूपये 10,000,01 (दस लाख एक रूपये) से अधिक के हो । 8. तहसील हरसूद एवं खालवा के भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अंतर्गत प्रोबेट एवं प्रशासन पत्र के प्रकरण। 9. तहसील हरसूद एवं खालवा के संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के प्रकरण। 10. तहसील हरसूद एवं खालवा के भू-अर्जन अधिनियम 1894 यथा संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 से संबंधित नवीन प्रकरण एवं उससे उत्पन्न कार्यवाहियों का क्रियान्वयन 11. तहसीलएवं हरसूद खालवा से संबंधित मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 के प्रकरण। 12. रजिस्ट्री जबलपुर के पृष्ठांकन क्रमांक-सी/655/तीन-6-5 2018 दिनांक 01.02. 2019 के साथ संलग्न मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17(ई)दो/2019/21-ब(एक)/103/019 दिनांक 30. 01.2019 के अनुसार विर्निदिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 से संबंधित प्रकरण । (विशेष न्यायालय अधिसूचित) 13. दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत वाद एवं अपीलें । 14. मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी खंडवा तहसील पंधाना, हरसूद, खालवा एवं पुनासा।
7(स)	जिला न्यायाधीश/ अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण हरसूद	सिविल जिला खंडवा की **तहसील हरसूद एवं खालवा के आरक्षी केन्द्र हरसूद, खालवा एवं किल्लौद क्षेत्र में घटित दुर्घटना आधारित क्लेम प्रकरण**	क्षेत्राधिकार की सीमा में घटित मोटर वाहन दुर्घटना के प्रकरण या आवेदक का निवास इस तहसील में हो एवं जिले की सीमा में निवास करते हो, द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावा (दुर्घटना के समय प्रचलित मोटरयान अधिनियम के प्रावधान अनुसार) प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण । वर्तमान प्रभावशील विधि अनुसार DAR (Datailed Accident Report) विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन ।
खण्ड-ब **सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड का क्षेत्राधिकार**			
8	**प्रथम सिविल जज वरिष्ठ खंड खंडवा ।**	जिला खंडवा की तहसील खंडवा एवं पंधाना	1. सिविल जिला (तहसील हरसूद, खालवा एवं पुनासा छोडकर) से उत्पन्न ₹ 500/- (पॉच सौ रूपये) तक के लघुवाद प्रकरण। 2. सिविल जिले (तहसील हरसूद, खालवा, पुनासा छोडकर) से संबंधित म0प्र0 मध्यस्थता अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत ऐसे प्रकरण जो कि म0प्र0 आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल की क्षेत्राधिकारता के बाहर के हों तथा जिनका मूल्यांकन ₹ 10,00,000/- (दस लाख रूपये) तक हो। 3. सिविल जिला से उद्भूत अन्य सिविल प्रकरण एवं अपील जिनकी श्रवणाधिकारिता व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 एवं 2 को है तथा जो किसी अन्य न्यायाधीश को इस कार्य वितरण आदेश द्वारा न दिये गये हों। 4. अपने न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश से संबंधित निष्पादन/विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेश का क्रियान्वयन।

8	प्रथम सिविल जज वरिष्ठ खंड खंडवा ।	जिला खंडवा की तहसील खंडवा एवं पंधाना	5. जिला एवं सत्र न्यायाधीश खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित न्यायिक एवं प्रशासनिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियॉं। 6. ''सिविल जिला खंडवा (तहसील हरसूद, खालवा एवं पुनासा को छोडकर) के भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के प्रकरण । 7. नगर पालिका अधिनियम की धारा 139 (1) एवं (2) क अंतर्गत प्रस्तुत अपील ।
9	द्वितीय सिविल जज वरिष्ठ खंड खंडवा एवं विशिष्ठ रेल्वे मजिस्ट्रेट खंडवा ।	जिला खंडवा	1. माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक सी/5503/III-6-3/57-XII दिनांक 26.12.2019 में उल्लेखित रेल्वे से संबधित प्रकरण। 2. अपने न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश से संबंधित निष्पादन/विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेश का क्रियान्वयन। 3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित न्यायिक एवं प्रशासनिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियॉं।
10	तृतीय सिविल जज वरिष्ठ खंड खंडवा	जिला खंडवा की तहसील खंडवा एवं पंधाना	1. तहसील खंडवा एवं पंधाना से उत्पन्न ₹ 5,00.001/- से ₹ 1,00,00,000 (पॉच लाख एक से एक करोड रूपये तक) मूल्यांकन के सिविल ए एवं बी श्रेणी के वाद । 2. अपने न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश से संबंधित निष्पादन/विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेश का क्रियान्वयन। 3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित न्यायिक एवं प्रशासनिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियॉं।
11	चतुर्थ सिविल जज वरिष्ठ खंड खंडवा ।	जिला खंडवा की तहसील खंडवा एवं पंधाना	1. अपने न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश से संबंधितनिष्पादन/विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेश का क्रियान्वयन। 3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित न्यायिक एवं प्रशासनिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियॉं।
12	पंचम सिविल जज वरिष्ठ खंड खंडवा	जिला खंडवा	रिक्त न्यायालय
13	षष्ठम सिविल जज वरिष्ठ खंड खंडवा, एवं रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट खंडवा एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय खंडवा	जिला खंडवा की तहसील खंडवा एवं पंधाना	1. राजस्व तहसील खण्डवा क्षेत्र से संबंधित ग्राम न्यायालय अधिनियम-2008 के अंतर्गत के प्रकरण एवं निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अपीलीय आदेशों का क्रियान्वयन। 2. अपने न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश से संबंधित निष्पादन/विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेश का क्रियान्वयन। 3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल न्यायिक एवं प्रशासनिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियॉं। 4. रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट से संबंधित आवंटित समस्त कार्य । 5. प्रोटोकॉल कर्त्तव्य ।
14	सप्तम सिविल जज वरिष्ठ खंड खंडवा	.....	रिक्त न्यायालय
15	अष्टम सिविल जज वरिष्ठ खंड खंडवा	.....	रिक्त न्यायालय
16	सिविल जज वरिष्ठ खंड हरसूद जिला खंडवा	जिला खंडवा की तहसील हरसूद एवं खालवा	1. तहसील हरसूद एवं खालवा से संबंधित ₹ **5,00,001/- से ₹ 10,00,000/-**(पॉच लाख एक से दस लाख) तक के मूल्यांकन के नियमित सिविल व्यवहार वाद ए एवं बी श्रेणी के

16	सिविल जज वरिष्ठ खंड हरसूद जिला खंडवा	जिला खंडवा की तहसील हरसूद एवं खालवा	2. तहसील हरसूद एवं खालवा से संबंधित ₹ 500/- (पॉच सौ रूपये) तक के लघुवाद प्रकरण। 3. तहसील हरसूद एवं खालवा से संबंधित भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के प्रकरण। 4. तहसील हरसूद एवं खालवा से संबंधित म0प्र0 मध्यस्थता अधिनियम के ऐसे प्रकरण जो कि म0प्र0 आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के क्षेत्राधिकारता के बाहर के हों तथा जिनका मूल्यांकन ₹ **10,00,000/-** (दस लाख रूपये) तक हो। 5. अपने न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश से संबंधित निष्पादन/विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेश का क्रियान्वयन। 6. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल न्यायिक एवं प्रशासनिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियॉं।
17	सिविल जज वरिष्ठ खंड पुनासा जिला खंडवा	जिला खंडवा की तहसील पुनासा	1. तहसील पुनासा (उपतहसील मांधाता को छोडकर) से संबंधित ₹ 1,00,00,000/- (एक करोड रूपये) तक के मूल्यांकन के नियमित व्यवहार वाद। 2. तहसील पुनासा (उपतहसील मांधाता को छोडकर) से संबंधित ₹ 500/- (पॉच रूपये) तक के लघुवाद प्रकरण। 3. तहसील पुनासा (उपतहसील मांधाता को छोडकर) से संबंधित भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के प्रकरण। 4. तहसील पुनासा (उपतहसील मांधाता को छोडकर) से संबंधित म0प्र0 मध्यस्थता अधिनियम के ऐसे प्रकरण जो कि म0प्र0 आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के क्षेत्राधिकारता के बाहर के हों तथा जिनका मूल्यांकन ₹10,00,000/-(दस लाख रूपये)तक हो 5. तहसील पुनासा (उपतहसील मांधाता को छोडकर) से संबंधित मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 के प्रकरण। 6. अपने न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश से संबंधित निष्पादन/विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेश का क्रियान्वयन। 7. प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल न्यायिक एवं प्रशासनिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियॉं।
18	सिविल जज वरिष्ठ खंड का श्रृंखला न्यायालय मांधाता (ऑंकारेश्वर) तहसील पुनासा	**जिला खंडवा की तहसील पुनासा की श्रृंखला न्यायालय मांधाता (औंकारेश्वर)**	1. तहसील पुनासा का श्रृंखला न्यायालय मांधाता (उपतहसील) से संबंधित ₹1,00,00,000/- (एक करोड रूपये) तक के मूल्यांकन के नियमित व्यवहार वाद। 2. तहसील पुनासा का श्रृंखला न्यायालय मांधाता(उपतहसील)से संबंधित ₹ 500/- (पॉच रूपये) तक के लघुवाद प्रकरण। 3. तहसील पुनासा का श्रृंखला न्यायालय मांधाता (उपतहसील) से संबंधित भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के प्रकरण। 4. तहसील पुनासा एवं श्रृंखला न्यायालय मांधाता (उपतहसील) से संबंधित म0प्र0 मध्यस्थता अधिनियम के ऐसे प्रकरण जो कि म0प्र0 आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के क्षेत्राधिकारता के बाहर के हों तथा जिनका मूल्यांकन ₹10,00,000/-(दस लाख रूपये)तक हो। 5. तहसील पुनासा का श्रृंखला न्यायालय मांधाता (उपतहसील) से संबंधित मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम,1939 के प्रकरण।

18	सिविल जज वरिष्ठ खंड का श्रृंखला न्यायालय मांधाता (औंकारेश्वर) तहसील पुनासा	जिला खंडवा की तहसील पुनासा की श्रृंखला न्यायालय मांधाता (औंकारेश्वर)	6. श्रृंखला न्यायालय मांधाता (उपतहसील) द्वारा पारित निर्णय/आदेश से संबंधित निष्पादन/विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेश का क्रियान्वयन। 7. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल न्यायिक एवं प्रशासनिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियॉं।
	खण्ड-स **सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड का क्षेत्राधिकार**		
19	प्रथम सिविल जज कनिष्ठ खंड खंडवा	जिला खंडवा की तहसील खंडवा एवं पंधाना	1. अपने न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश से संबंधित निष्पादन/विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेश का क्रियान्वयन। 2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल न्यायिक एवं प्रशासनिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियॉं।
20	द्वितीय सिविल जज कनिष्ठ खंड खंडवा	जिला खंडवा की तहसील खंडवा एवं पंधाना	1. अपने न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश से संबंधित निष्पादन/विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेश का क्रियान्वयन। 2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल न्यायिक एवं प्रशासनिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियॉं।
21	तृतीय सिविल जज कनिष्ठ खंड खंडवा	जिला खंडवा की तहसील खंडवा एवं पंधाना	1. तहसील खंडवा एवं पंधाना से उत्पन्न ₹ 5,00,000 (पांच लाख) तक मूल्यांकन के सिविल ए एवं बी श्रेणी के वाद । 2. अपने न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश से संबंधित निष्पादन/विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेश का क्रियान्वयन। 3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल न्यायिक एवं प्रशासनिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियॉं।
22	चतुर्थ सिविल जज कनिष्ठ खंड खंडवा	जिला खंडवा की तहसील खंडवा एवं पंधाना	1. अपने न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश से संबंधित निष्पादन/विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेश का क्रियान्वयन। 2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल न्यायिक एवं प्रशासनिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियॉं।
23	पंचम सिविल जज कनिष्ठ खंड खंडवा	जिला खंडवा की तहसील खंडवा एवं पंधाना	1. अपने न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश से संबंधित निष्पादन/विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेश का क्रियान्वयन। 2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल न्यायिक एवं प्रशासनिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियॉं।
24	षष्ठम सिविल जज कनिष्ठ खंड खंडवा	.....	**रिक्त न्यायालय**
25	सप्तम सिविल जज कनिष्ठ खंड खंडवा	.....	**रिक्त न्यायालय**
26	अष्टम सिविल जज कनिष्ठ खंड खंडवा	.....	**रिक्त न्यायालय**
27	नवम सिविल जज कनिष्ठ खंड खंडवा	.....	**रिक्त न्यायालय**
28	प्रथम सिविल जज कनिष्ठ खंड हरसूद जिला खंडवा	जिला खंडवा की तहसील हरसूद एवं खालवा	1. तहसील हरसूद एवं खालवा क्षेत्र से संबंधित ₹ 500000/- (पॉंच लाख रूपये) तक के मूल्यांकन के नियमित व्यवहार वाद । 2. अपने न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश से संबंधित निष्पादन/विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेश का क्रियान्वयन।

28	प्रथम सिविल जज कनिष्ठ खंड हरसूद जिला खंडवा	जिला खंडवा की तहसील हरसूद एवं खालवा	3. जिला एवं सत्र न्यायाधीश खण्डवा द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल न्यायिक एवं प्रशासनिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियाँ।
29	द्वितीय सिविल जज कनिष्ठ खंड हरसूद जिला खंडवा	.....	**रिक्त न्यायालय**

अवकाश पर प्रभार

अन्य आदेश न होने की दशा में निम्नानुसार तालिका के कॉलम नं. 2 में उल्लेखित न्यायिक अधिकारियों के किसी भी प्रकार के अवकाश पर होने या अन्यथा अनुपस्थित रहने पर कालम नं0 3 में उल्लेखित अधिकारी तथा उनकी अनुपस्थिति में कालम नं0 4 में उल्लेखित अधिकारी तथा उनकी अनुपस्थिति में कालम नं0 5 में उल्लेखित अधिकारी द्वारा उनके न्यायालयों का आवश्यक कार्य संपादित किया जावेगा । उपरोक्त सभी अनुपस्थित रहने के दशा में कॉलम नं-5 के प्रभारी एवं उनकी अनुपस्थिति में प्रभारी के प्रभारी अधिकारी के द्वारा आवश्यक कार्य संपादित किये जावेंगा:-

1	2	3	4	5
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश खण्डवा	विशेष न्यायाधीश, जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश खण्डवा	जिला एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश खंडवा	जिला एवं तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश खंडवा
2	विशेष न्यायाधीश, अपर जिला एवं सत्र **न्यायाधीश**	जिला एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश खंडवा	जिला एवं तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश खंडवा	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश खण्डवा
3	जिला एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश खंडवा	जिला एवं तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश खंडवा	विशेष न्यायाधीश, अपर जिला एवं सत्र **न्यायाधीश**	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश खण्डवा
4	जिला एवं तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश खंडवा	जिला एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश खंडवा	विशेष न्यायाधीश, अपर जिला एवं सत्र **न्यायाधीश**	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश खण्डवा
6	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश हरसूद	जिला एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश खंडवा	जिला एवं तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश खंडवा	विशेष न्यायाधीश, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश खंडवा
7	प्रथम सिविल जज वरिष्ठ खंड खंडवा	षष्टम सिविल जज वरिष्ठ खंड खंडवा	तृतीय सिविल जज वरिष्ठ खंड खण्डवा	द्वितीय सिविल जज वरिष्ठ खंड खंडवा
8	द्वितीय सिविल जज वरिष्ठ खंड एवं SRM	प्रथम सिविल जज वरिष्ठ खंड खंडवा	तृतीय सिविल जज वरिष्ठ खंड खंडवा	षष्टम सिविल जज वरिष्ठ खंड खंडवा
9	तृतीय सिविल जज वरिष्ठ खंड खंडवा	प्रथम सिविल जज वरिष्ठ खंड खंडवा	षष्टम सिविल जज वरिष्ठ खंड खंडवा	द्वितीय सिविल जज वरिष्ठ खंड खंडवा
10	चतुर्थ सिविल जज वरिष्ठ खंड खंडवा	प्रथम सिविल जज वरिष्ठ खंड खंडवा	षष्टम सिविल जज वरिष्ठ खंड खंडवा	तृतीय सिविल जज वरिष्ठ खंड खंडवा
11	षष्टम सिविल जज वरिष्ठ खंड खंडवा	प्रथम सिविल जज वरिष्ठ खंड खण्डवा	तृतीय सिविल जज वरिष्ठ खंड खंडवा	द्वितीय सिविल जज वरिष्ठ खंड खण्डवा
12	सिविल जज वरिष्ठ खंड हरसूद	प्रथम सिविल जज वरिष्ठ खंड खण्डवा	तृतीय सिविल जज वरिष्ठ खंड खंडवा	पष्ठम सिविल जज वरिष्ठ खंड खंडवा
13	सिविल जज वरिष्ठ खंड पुनासा एवं श्रृखंला न्याया. मांधाता औकारेश्वर	प्रथम सिविल जज वरिष्ठ खंड, खंडवा	तृतीय सिविल जज वरिष्ठ खंड खंडवा	पष्ठम सिविल जज वरिष्ठ खंड खंडवा
14	प्रथम सिविल जज कनिष्ठ खंड खंडवा	द्वितीय सिविल जज कनिष्ठ खंड खण्डवा	तृतीय सिविल जज कनिष्ठ खंड खंडवा	चतुर्थ सिविल जज कनिष्ठ खंड खंडवा
15	द्वितीय सिविल जज कनिष्ठ खंड खंडवा	प्रथम सिविल जज कनिष्ठ खंड खण्डवा	तृतीय सिविल जज कनिष्ठ खंड खंडवा	चतुर्थ सिविल जज कनिष्ठ खंड खंडवा
16	तृतीय सिविल जज कनिष्ठ खंड खंडवा	प्रथम सिविल जज कनिष्ठ खंड खण्डवा	द्वितीय सिविल जज कनिष्ठ खंड खंडवा	चतुर्थ सिविल जज कनिष्ठ खंड खंडवा
17	चतुर्थ सिविल जज कनिष्ठ खंड खंडवा	प्रथम सिविल जज कनिष्ठ खंड खण्डवा	द्वितीय सिविल जज कनिष्ठ खंड खंडवा	तृतीय सिविल जज कनिष्ठ खंड खंडवा
18	पंचम सिविल जज कनिष्ठ खंड खंडवा	द्वितीय सिविल जज कनिष्ठ खंड खण्डवा	तृतीय सिविल जज कनिष्ठ खंड खंडवा	चतुर्थ सिविल जज कनिष्ठ खंड खंडवा
18	प्रथम सिविल जज कनिष्ठ हरसूद	सिविल जज वरिष्ठ खंड हरसूद	तृतीय सिविल जज कनिष्ठ खंडवा	चतुर्थ सिविल जज कनिष्ठ खंडवा

:-जमानत आवेदनपत्रों के संबंध में कार्य व्यवस्था -:

(अ) सत्र न्यायाधीश खंडवा के अवकाश पर होने की स्थिति में पश्चातवर्ती (**Repeat**) जमानत आवेदनपत्र, सत्र न्यायालय में पंजीबद्ध होने के उपरांत, जिस अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा पूर्व/सर्वप्रथम या पश्चातवर्ती जमानत आवेदन निराकृत हुआ है, उन्हीं न्यायाधीश को अंतरित (**Transfer**) हुआ माना जावेगा, उनके द्वारा निराकृत किया जावेगा, इसके लिये पृथक अंतरण आदेश अपेक्षित नहीं होगा।

(ब) जिस अपराध क्रमांक में आवेदन पत्र पेश हुआ है, किसी एक अभियुक्त के जमानत आवेदन पर जिस न्यायालय द्वारा सुनवाई की गई हो, उसी अपराध क्रमांक में सहअभियुक्त के जमानत आवेदन पर उसी न्यायालय द्वारा सुनवाई की जावेगी।

(स) सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति या अवकाश की दशा में ही जमानत आवेदन पत्र पेश होने पर (जहां ऊपर वर्णित (ब) अनुसार स्थिति न हो) निम्नानुसार दर्शाये जा रहे पुलिस थाना से संबंधित जमानत आवेदन पत्र उनके सम्मुख दर्शाये गये अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई हेतु स्वतः अंतरित हो जावेंगे:-

पुलिस थाना क्षेत्र	न्यायालय
1	2
1. थाना कोतवाली, थाना पदमनगर खंडवा, पंधाना, जावर, जी.आर.पी. आर.पी.एफ एवं आबकारी खंडवा, सभी आरक्षी केन्द्रों के आबकारी अधिनियम से संबंधित जमानत आवेदन ।	विशेष न्यायाधीश अजा/अजजा
2. थाना मोघट रोड खंडवा, नर्मदा नगर, पिपलौद, छैगांव-माखन, धनगांव, मूंदी एवं मांधाता से संबंधित	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, खंडवा
3. तहसील हरसूद एवं खालवा से संबंधित थाना हरसूद, खालवा एंव किल्लौद से संबंधित	अपर सत्र न्यायाधीश हरसूद
क्रमांक-1 एवं क्रमांक-2 से संबंधित न्यायाधीशगण भी अवकाश पर होने की स्थिति में ।	तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, खंडवा

(द) सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर होने की अवधि में, दं.प्र.सं. की धारा-438 के अंतर्गत अग्रिम तथा धारा 439 के अंतर्गत नियमित जमानत आवेदन पत्रों की प्रस्तुति एवं पंजीयन सत्र न्यायालय में होगा। पंजीयन के उपरांत जमानत आवेदनपत्र सुनवाई हेतु उक्त तालिका के कालम नं.2 में नामांकित विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष क्रमशः रखे जावेंगे। इस प्रकार सुनवाई हेतु रखे गये जमानत आवेदनपत्र उनके हवाले (**made over**) किये गये माने जावेंगे और उन्हीं के द्वारा निराकृत किये जावेंगे। जमानत आवेदनपत्र के निराकरण के उपरांत, जमानत प्रकरण का अभिलेख सत्र न्यायालय को वापस भिजवाये जावेंगे। अभिलेख को सत्र न्यायालय से अभिलेखागार में जमा कराया जायेगा।

(इ) विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर होने की अवधि में, उनके हवाले (**Made over**) किये जा चुके जमानत आवेदनपत्र, उनके प्रभार वाले न्यायाधीश द्वारा निराकृत किये जा सकेंगे । सत्र न्यायाधीश के भी अवकाश पर होने की दशा में, जमानत आवेदनपत्र सुनवाई हेतु उक्त तालिका के कालम नं.02 में नामांकित विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश आदि के समक्ष क्रमशः रखे जावेंगे। इस प्रकार सुनवाई हेतु रखे गये जमानत आवेदनपत्र उनके हवाले (made over) किये गये माने जावेंगे और प्रभारी अधिकारी की हैसियत में उन्हीं के द्वारा निराकृत किये जा सकेंगे। जमानत आवेदनपत्र के निराकरण के उपरांत, जमानत प्रकरण का अभिलेख संबंधित न्यायालय को वापस भिजवाया जावेगा, वहाँ से उसे अभिलेखागार में जमा कराया जायेगा।

(फ) अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 से संबंधित विशेष न्यायाधीश का न्यायालय रिक्त होने की दशा में इन अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत किये गये या लंबित जमानत आवेदन पत्रों एवं अन्य त्वरित सुनवाई हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक-सी/2262 एवं सी/2264/तीन-6-3/89 जबलपुर, दिनांक- 14/09/2020 के अनुसार वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश एवं उनकी अनुपस्थिति में उत्तरवर्ती एक वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा की जा सकेगी ।

नोट :-

(1) अन्य जिला एवं राज्य से निष्पादन हेतु अंतरण पर प्राप्त होने वाली डिक्री एवं अवार्ड 5,00,000/-मूल्यांकन तक द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड खण्डवा द्वारा ₹ 5,00,001/- से ₹ 100,00,000/- तक मूल्यांकन के लिये तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड खण्डवा की न्यायालय द्वारा तथा ₹ 100,00,000/- से अधिक मूल्यांकन के लिये जिला एवं प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश, खण्डवा की न्यायालय द्वारा ग्रहण करते हुए निष्पादन की कार्यवाही की जावेगी।

(2) अन्य जिला एवं राज्य से निष्पादन हेतु अंतरण पर प्राप्त होने वाले मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा पारित अवार्ड की राशि के निष्पादन की कार्यवाही हेतु प्रकरण जिला न्यायाधीश/सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण खंडवा की न्यायालय द्वारा ग्रहण करते हुए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण खंडवा

अथवा

अन्य सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण खंडवा/हरसूद न्यायालय द्वारा (जिला न्यायाधीश खंडवा द्वारा अंतरित करने पर) निष्पादन संबंधी कार्यवाही ।

(3) वर्तमान में रिक्त जिला एवं अपर सत्र न्यायालय खण्डवा एवं पूर्व में स्थापित फास्ट ट्रेक कोर्ट एवं अन्य कोई जिला एवं अपर सत्र न्यायालय जो कि अब कार्यरत नहीं है, से संबंधित आनुषंगिक कार्यवाहियॉं, जिला एवं तृतीय अति. सत्र न्यायाधीश, खण्डवा एवं उक्त न्यायालय के रिक्त होने के स्थिति में जिला एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, खंडवा द्वारा की जावेंगी।

(4) पूर्व में पदस्थापित सिविल जज वरिष्ठ खंड जिनकी पदस्थापना वर्तमान में नहीं है, से संबंधित जो भी आनुषंगिक कार्यवाहियॉं, पष्ठम सिविल जज वरिष्ठ खंड, खण्डवा द्वारा की जावेंगी।

(5) पूर्व में पदस्थापित सिविल जज कनिष्ठ खंड जिनकी पदस्थापना वर्तमान में नहीं है, से संबंधित जो भी आनुषंगिक कार्यवाहियॉं, चतुर्थ सिविल जज कनिष्ठ खंड, खण्डवा द्वारा की जावेंगी।

(6) भविष्य में रिक्त होने वाली न्यायालयों से संबंधित आवश्यक कार्य, अवकाश पर प्रभार से संबंधित तालिका अनुसार न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा संपादित किया जावेगा।

(7) न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, खंडवा के क्षेत्राधिकारिता के मामलों की सुनवाई की अधिकारिता अन्य सिविल न्यायालयों को नहीं होगी और न ही ऐसे मामले सिविल न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।

(8) जिला मुख्यालय पर सत्र न्यायाधीश व अन्य सभी विशेष तथा अपर सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर रहने अथवा अन्यथा उपस्थित न रहने पर समस्त प्रकार का औपचारिक एवं आवश्यक कार्य जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश एवं उनके अवकाश पर रहने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खण्डवा संपादित करेंगे।

(9) यह कार्य विभाजन आदेश, न्यायालयों में पूर्व से लंबित प्रकरणों को प्रभावित नहीं करेगा।

(10) Adjuicating Officer, the Authority or the Appellte Trubunal of MP Real Estate Regulation Tribunal Bhopal द्वारा M.P. Real Estate (Regulation & Development) Act 2016 के अंतर्गत पारित आदेश के निष्पादन की कार्यवाही के क्रियान्वयन हेतु प्रकरण जिला न्यायाधीश खंडवा द्वारा ग्रहण करते हुए क्षेत्राधिकार अनुसार अपर जिला न्यायाधीश खंडवा अथवा व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड खंडवा एवं तहसील हरसूद एवं खालवा से संबंधित प्रकरण जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश हरसूद अथवा सिविल जज वरिष्ठ खंड हरसूद एवं सिविल जज वर्ग-1 पुनासा एवं श्रृखंला न्यायालय मांधाता औंकारेश्वर द्वारा (जिला न्यायालय खंडवा द्वारा अंतरित करने पर) निष्पादन संबंधी कार्यवाही।

(11) लोक अदालत खंडवा/हरसूद/पुनासा के माध्यम से निराकृत सिविल मामलों से संबंधित निष्पादन कार्यवाहियॉं आदि प्रकरण अंतरित किये जाने न्यायालय (मूल न्यायालय) में ही प्रस्तुत किये जावे ।

(12) केन्द्रीय पंजीयन कार्यालय में पंजीयन उपरांत संबंधित प्रकरण इस कार्य विभाजन के आदेशानुसार संबंधित न्यायालय को अंतरित माना जावेगा ।

(13) रिक्त न्यायालय के संबंध में समस्त जानकारी माननीय उच्च न्यायालय या अपील न्यायालय को उसके प्रभारी न्यायालय द्वारा ही दी जावेगी एवं रिक्त न्यायालय के अपील/रिवीजन से प्राप्त अभिलेख का नतीजा पंजी में दर्ज कराकर अभिलेखागार में जमा करने की कार्यवाही भी प्रभारी न्यायालय के द्वारा ही की जावेगी ।

खंडवा
दिनांक- 05.05.2022

(संजीव एस. कालगांवकर)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पूर्व निमाड खंडवा

कार्यालय - प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व निमाड़, खंडवा म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक- 877 /एक-21-1/98 खंडवा, दिनांक-05-05/04/2022

आदेशानुसार - प्रतिलिपि

1. विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति खण्डवा।
2. जिला एवं प्रथम/तृतीय/अपर सत्र न्यायाधीश खण्डवा/हरसूद
3. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड खण्डवा।
4. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड हरसूद।
5. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड पुनासा/श्रृखंला न्यायालय मांधाता औकारेश्वर।
5. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड खंडवा/हरसूद
6. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा।
7. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ खंडवा/हरसूद/पुनासा ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

8. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग खंडवा की ओर जिला न्यायालय की वेबसाईड पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित ।

जिला रजिस्ट्रार,
सिविल कोर्ट खण्डवा (म0प्र0)